



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032020-216509  
CG-DL-E-03032020-216509

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2020/फाल्गुन 9, 1941

No. 85]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2020/PHALGUNA 9, 1941

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2020

फा. सं. 4-11/2017 सीयू-II—दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 (1922 का VIII) की धारा 29 की उप-धारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, कार्यकारी परिषद कुलाध्यक्ष (विजिटर) के अनुमोदन के साथ, इसके द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय, 1922 के संविधियों में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः —

- (i) इन संविधियों को दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियां, 2019 कहा जा सकता है।  
(ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- दिल्ली विश्वविद्यालय, 1922 के संविधियों में, संविधि 9-बी में  
(ए) सीरियल नंबर (43) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां लोपित (ओमिटेड) होंगी;  
(बी) सीरियल नंबर (74) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां लोपित (ओमिटेड) होंगी;  
(सी) सीरियल नंबर (82) तथा निम्नलिखित सीरियल नंबर से संबंधित प्रविष्टियों के बाद और प्रविष्टियां क्रमशः अतर्निविष्ट होंगी, नामतः -

“(83) वित्त एवं व्यवसाय अर्थशास्त्र विभाग”।

प्रोफेसर तरुण कुमार दास, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./470/19]

ध्यान दें: —

- (1) “व्यवसाय अर्थशास्त्र विभाग” और “वित्त अध्ययन विभाग” को अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय के अधीन “वित्त तथा व्यवसाय अर्थशास्त्र विभाग” के रूप में नामित करके एक एकल विभाग में विलय कर दिया गया है।
- (2) दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की संविधियाँ, 1922 को उस अधिनियम की अनुसूची के रूप में प्रकाशित किया गया था और फा. सं. 4-93/2014-डेस्क (यू), दिनांकित 05 अगस्त, 2015 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**

**(Department of Higher Education)**

**(UNIVERSITY OF DELHI)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th February, 2020

**F. No. 4-11/2017 CU-II**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of Section 29 of the Delhi University Act, 1922 (VIII of 1922), the Executive Council, with the approval of the Visitor, hereby makes the following amendment further to amend the Statutes of the University of Delhi, 1922, namely:—

1. (i) These Statutes may be called as the University of Delhi (Amendment) Statutes, 2019  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Statutes of the University of Delhi, 1922, in Statute 9-B
  - (a) Serial number (43) and entries relating thereto shall be omitted;
  - (b) Serial number (74) and entries relating thereto shall be omitted;
  - (c) After serial number (82) and the entries relating thereto the following serial number and the entries shall be inserted, namely;-  
“(83) Department of Finance and Business Economics.”

Prof. TARUN KUMAR DAS, Registrar

[ADV.T.-III/4/Exty./470/19]

**Note: —**

- (3) “The Department of Business Economics” and “Department of Financial Studies” are merged into a single Department named as “Department of Finance and Business Economics” under the Faculty of Applied Social Sciences and Humanities.
- (4) Statutes of the University of Delhi, 1922 were published along with the Delhi University Act, 1922 as a Schedule annexed to that Act and were last amended *vide* F. No. 4-93/2014–Desk (U) dated 5<sup>th</sup> August, 2015.